



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./जि.को/एपीओ/17/3869

जयपुर दिनांक- 10/10/17

—: आदेश :-

श्री जितेंद्र कोठारी, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, कोटडा (उदयपुर) को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री कोठारी, सहायक अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर देवें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शिखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. विशिष्ट सहायक, मान. राज्य मंत्री, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ. शा. टीप क्रमांक 976 दिनांक 7.9.17 के संदर्भ में ।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 5975 दिनांक 7.9.17 के संदर्भ में ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 10999 दिनांक 7.9.17 के संदर्भ में ।
5. जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री जितेंद्र कोठारी, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, कोटडा (उदयपुर) ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/स.अ./एपीओ पद/ल.मी./17/ 3883

जयपुर, दिनांक :- 10/10/17

—: आदेश :-

श्री लक्ष्मण मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता आदेशों की प्रतीक्षा में पंचायती राज मुख्यालय को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति, पिडावा (सुनेल) जिला झालावाड में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री मीणा, सहायक अभियन्ता आदेशों की प्रतीक्षा में पं.राज मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

mita

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, झालावाड ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिडावा (सुनेल) जिला झालावाड ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री लक्ष्मण मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता, आदेशों की प्रतीक्षा में पंचायती राज मुख्यालय को पालनार्थ ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

mita

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव